दा.वार 26/2017
छगनलाल / दगा व अ.य

दि 07-5-2018

आज यह पत्रावली न्यायालय अधिवक्ता द्वारा अभियान 2018 के तहत 200 लोक अदालत केम्प कोर्ट हाल सेवा केन्द्र भूड में मेरे समक्ष पेश हुई। मैं इस केस वादीगण व प्रतिवादीगण को आगे नहीं लोटिस जारी कर बुला प्रदत्त होने से समाना चाहता हु से अस्वीकार किया गया। वादी छगनलाल व प्रतिवादी प्रवीणकुमार उपस्थित। क्योंकि हमारे आपस में वादी छगनलाल ने पत्रावली पर यह लिखकर रिपोर्ट की है कि मैं इस केस को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे आपस में इस भूमि का बंटवारा हेतु राजीनामा हो गया है। अतः विवादित यह वाद वादी द्वारा विड्रोल करने से आगे चलने योग्य नहीं होने से जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। तदनुसार 200 लोक अदालत केम्प कोर्ट भूड में मजमे आम में सुनाया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नंबर से कम हो।

मैं इस भूमि का बंटवारा हेतु राजीनामा हो गया है।

छगनलाल

प्रवीण कुमार

प्रतियान कर्ता

कानोर।

प.ऊ.

ओम
07/5/18
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)